



ए.एफ.आर.

Neutral Citation No. - 2026:AHC:49013

निर्णय सुरक्षित दिनांक **08.01.2026**

निर्णय सुनाया गया दिनांक **11.03.2026**

निर्णय अपलोड किया गया दिनांक **11.03.2026**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - **2868/1986**

राजेन्द्र कुमार.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता : अनुराग उपाध्याय, जी.एस. सक्सेना, रविनाथ तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 89

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री रविनाथ तिवारी और राज्य की ओर से ए.जी.ए. श्री चंद्र बदन की बात सुनी गई।

2. आरोपी-अपीलकर्ता राजेंद्र कुमार, जो यूपीएसआरटीसी बस (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) में कंडक्टर थे, को ट्रायल जज ने दोषी ठहराया। उन पर आईपीसी की धारा 333 और 332 के तहत आरोप थे कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान निरीक्षण कर रहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर नाथू राम को जान-बूझकर गंभीर चोट पहुंचाई और ट्रैफिक इंस्पेक्टर अतर सिंह और बुद्धि मल को चोट पहुंचाई, ताकि उन्हें उनके काम करने से रोका जा सके। नतीजतन, उन्हें आईपीसी की धारा 332 और 333 के तहत अपराधों के लिए क्रमशः दो और तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। यह निर्देश दिया गया है कि दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी। यह फैसला IPC की धाराओं 332 और 333 के तहत अपराध के लिए सत्र विचारण संख्या 142/1984 (राज्य बनाम राजेंद्र कुमार) में सुनाया गया था। यह मामला सहारनपुर जिले के रुड़की पुलिस स्टेशन में दर्ज केस क्राइम नंबर 371/1981 से जुड़ा था।

3. अभियोजन पक्ष का मामला 06.08.1981 को शाम 6:30 बजे रुड़की पुलिस स्टेशन (जो उस समय सहारनपुर जिले में था) में दर्ज एफआईआर से शुरू हुआ। यह एफआईआर तीन मुखबिरों - अतर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सिंह, नाथू राम और बुद्धि मल (जो यू.पी. रोडवेज में ग्रेड-II ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे) ने अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज कराई थी। अपीलकर्ता रोडवेज बस नंबर यूएसटी5238 का कंडक्टर है। उस पर आईपीसी की धाराओं 332, 333, 353, 426 और 506 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। आरोप यह था कि शाम करीब 4:00 बजे, सहारनपुर डिपो की बस नंबर UST5238, जो सहारनपुर से हरिद्वार जा रही थी, उसे रास्ते में रोक दिया गया था। तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टर बस में चढ़े और कंडक्टर राजेंद्र कुमार से वे-बिल दिखाने को कहा; उन्होंने आपत्ति जताते हुए वे-बिल उन्हें सौंप दिया। बस रुड़की की ओर जा रही थी। जब टीम यात्रियों की गिनती कर रही थी, तो बिना यूनिफॉर्म वाले कंडक्टर ने बदतमीजी और गाली-गलौज शुरू कर दी और यात्रियों को विभाग और उसके अधिकारियों के खिलाफ भड़काया। इसके बाद बस रुड़की के राम नगर कैंप पहुँची, जहाँ नाथू राम ने कंडक्टर को विभाग और उसके अधिकारियों की बात मानने की सलाह दी। इस पर कंडक्टर ने उनके चेहरे पर मुक्के मारे। जब अतर सिंह ने बीच-बचाव किया, तो कंडक्टर ने उनकी डायरी छीनकर फाड़ दी। नाथू राम के चेहरे पर चोटें आईं और उनके ऊपर के दो दांत टूट गए; वे गिर भी गए और उनके घुटने में चोट लगी। अतर सिंह और नाथू राम रुड़की बस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज के ऑफिस आए। बुद्धि मल को बस के अंदर खींच लिया गया और उनसे कहा गया कि वे वे-बिल पर लिखी रिपोर्ट को मिटा दें, वरना उन्हें अंजाम भुगतना होगा। अतर सिंह और नाथू राम ने इस घटना के बारे में स्टेशन इंचार्ज को जानकारी दी थी। उन्होंने आधे घंटे तक बस का इंतज़ार किया, जिसके बाद बुद्धि मल रुड़की पहुँचे। उन्होंने बताया कि उन्हें वे-बिल से जुड़ी रिपोर्ट हटाने के लिए धमकाया गया और उन पर दबाव डाला गया। उनकी शर्ट, बनियान और पैंट फटी हुई थी और उन्हें बहेड़ी टोल बैरियर पर बस से उतार दिया गया था; साथ ही, उन्हें इस मामले की रिपोर्ट न करने की धमकी भी दी गई थी।

4. 06.08.1981 को शाम 4:00 बजे हुई घटना के लिए, P.W.-6 हिटलर सिंह ने उसी दिन शाम 6:30 बजे चिक F.I.R. दर्ज की। घायल नाथू राम और बुद्धि मल को सीपी 130 कूड़ा सिंह सिविल अस्पताल, रुड़की ले गए। मेडिको-लीगल जांच P.W.-4 डॉ. विपिन कुमार प्रेमी द्वारा की गई है। नाथू राम की मेडिको-लीगल जांच, जो 06.08.1981 को शाम 7:35 बजे की गई थी, उससे पता चलता है कि उसे तीन चोटें आई थीं। “(1) ऊपरी होंठ के अंदरूनी हिस्से पर **0.5 cm x 0.2 cm** का खरोंच का निशान; (2) ऊपर के बीच वाले दो सामने के दांत गायब हैं, लेकिन उनके सॉकेट (मसूड़े में दांत की जगह) ठीक हैं और उनसे खून बह रहा है। बाकी दांत सामान्य हैं; (3) दाहिने घुटने के सामने **1.5 cm x 1 cm** का खरोंच का निशान।” रिपोर्ट के अनुसार, चोट नंबर 2 गंभीर है, जबकि चोट नंबर 1 और 3 मामूली हैं। सभी चोटें किसी कुंद चीज़ और रगड़ लगने से आई हैं। चोटें ताज़ा हैं। बुद्धि मल की मेडिको-लीगल जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि 06.08.1981 को शाम 7:45 बजे उनकी जांच की गई थी, जिसमें “दाहिने कंधे पर **1 cm x 0.5 cm** की चोट और सीने में दर्द की शिकायत” दर्ज की गई थी। देखा गया है कि चोट मामूली है और किसी कुंद चीज़ से लगी है। चोट ताज़ा है। चोट की दोनों रिपोर्ट क्रमशः ‘एग्ज़िबिट Ka-3’ और ‘Ka-4’ के तौर पर पेश की गई हैं। चोट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुलिस केस या F.I.R. नंबर का जिक्र नहीं है।

5. जांच अधिकारी, P.W.-5 S.I. महावीर सिंह ने जांच के दौरान पांच गवाहों - अतर सिंह, नाथू राम, बुद्धि मल, हिटलर सिंह और डॉ. वी.के. प्रेमी - के बयान दर्ज किए और आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसमें कहा गया है कि जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 332, 333, 353, 426 और 506 के तहत अपराध साबित होता है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. 23.04.1985 को, आरोपी-अपीलकर्ता पर IPC की धारा 333 और 332 के तहत अपराध का आरोप तय किया गया, न कि IPC की धारा 353, 426 और 506 के तहत।

7. आरोपी ने आरोप से इनकार किया और खुद को बेगुनाह बताया, इसलिए उसने मुकदमे की मांग की।

8. अभियोजन पक्ष ने सभी छह गवाहों को पेश किया है, जिनके नाम हैं: P.W.-1 अतर सिंह, P.W.-2 नाथू राम, P.W.-3 बुद्धि मल, P.W.-4 डॉ. विपिन कुमार प्रेमी, P.W.-5 एस.आई. महावीर सिंह और P.W.-6 हिटलर सिंह।

9. आरोपी-अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपने बयान में कहा कि तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने उसे झूठे मामले में फँसाया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने गलत तरीके से साढ़े चार साल के बच्चे का टिकट माँगा, जबकि वह टिकट से छूट के दायरे में था। ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने उसे पोटा, जिससे यात्री भड़क गए। इसके बाद यात्रियों ने बुद्धि मल को पकड़ लिया ताकि उसे एआरएम हरिद्वार के सामने पेश किया जा सके, जिस पर बुद्धि मल ने खुद माफीनामा दिया।

10. आरोपी-अपीलकर्ता ने बचाव पक्ष के तीन गवाह पेश किए हैं। डॉ. एस.सी. सिंघल (D.W.-1), जिन्होंने आरोपी-अपीलकर्ता को लगी चोट की जांच की थी; हेड कॅन्स्टेबल मो. उमर (D.W.-2), जिन्होंने अतर सिंह, नाथू राम और बुद्धि मल के खिलाफ एफआईआर लिखी थी (यह एफआईआर सत्र विचारण संख्या 162/1984 - स्टेट बनाम नाथू राम और अन्य - के क्रॉस केस का मामला है); और बी.डी. त्यागी (D.W.-3), जो बस के यात्री थे और उस दिन यात्रा कर रहे थे जब चेकिंग की गई थी।

11. अपील करने वाले के अधिवक्ता का कहना है कि अपील करने वाले की उम्र 77 साल है। वह उस बस का कंडक्टर था जो सहारनपुर से हरिद्वार जा रही थी और उसे शिकायत करने वालों, यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने झूठे मामले में फँसाया था। उनका कहना है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के बर्ताव की वजह से कुछ यात्री नाराज़ हो गए थे। जब बस राम नगर कैंप पर रुकी, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर अतर सिंह और नाथू राम बस से उतरे, जबकि यात्रियों ने बुद्धि मल को बस से उतरने से रोक दिया। बुद्धि मल को एआरएम हरिद्वार के सामने पेश किया जाना था और उसने समझदारी दिखाते हुए खुद ही माफीनामा लिख लिया था, ताकि वह एआरएम हरिद्वार का सामना करने से बच सके। आगे यह भी कहा गया है कि आरोपी-अपीलकर्ता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के साथ मारपीट नहीं की, बल्कि हो सकता है कि नाथू राम को बस से उतरने के बाद कहीं और चोट लगी हो। उन्होंने आगे कहा कि घटना के गवाहों के बयान बस में चढ़ने और रुकने के मामले में एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने यह नहीं बताया कि वे सहारनपुर से हरिद्वार रूट पर चेकिंग करने के लिए अधिकृत थे। अभियोजन पक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मुखबिर चेकिंग के मकसद से सहारनपुर बस डिपो के दफ़्तर से निकले थे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने भी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और एक क्रॉस केस भी था, जिसका फैसला विचारण न्यायालय ने नहीं किया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का गलत मूल्यांकन किया और दोषी ठहराया। साथ ही यह भी कहा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए तीनों गवाह 'इंटेरेस्टेड विटनेस' (हितबद्ध गवाह) हैं और उनके बयानों की जांच अधिक सावधानी से की जानी चाहिए। इसलिए, यह निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाए और आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. इसके उलट, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का सही मूल्यांकन किया है। विचारण न्यायालय ने अपने फैसले में खास तौर पर बताया है कि ड्राइवर समेत स्वतंत्र गवाहों को क्यों पेश नहीं किया गया। साथ ही, यह भी कहा गया है कि तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने बस की जांच की थी और उन्हें वे-बिल में गड़बड़ियां मिली थीं, जिसके बाद आरोपी-अपीलकर्ता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को उनकी ड्यूटी करने से रोका। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आरोपी-अपीलकर्ता ने ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई थी, वह जवाबी कार्रवाई के तौर पर थी, और विचारण न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात पर सही ढंग से विचार किया है। विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के गवाहों के मामले को भी सही तरीके से निपटाया है। इसलिए, यह कहा जाता है कि इस अपील में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

13. इस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड को देखा है।

14. विचार और निर्णय का मुख्य बिंदु यह है कि क्या विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का सही मूल्यांकन किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरोपी ने अतार सिंह और बुद्धि मल को स्वेच्छा से चोट पहुंचाई और नाथू राम को गंभीर चोट पहुंचाई—जो सभी लोक सेवक हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे थे।

15. किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए जान-बूझकर चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने का अपराध साबित करने के लिए—जो इस मामले में चिंता का विषय है—आईपीसी की धारा 332 और 333 के प्रावधानों को फिर से दोहराना ज़रूरी है:-

“**332.** लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना।- जो कोई भी जान-बूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जो लोक सेवक के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा हो, या जिसका मकसद उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को उसकी ड्यूटी निभाने से रोकना या डराना-धमकाना हो, या उस व्यक्ति द्वारा अपनी ड्यूटी को कानूनी तौर पर निभाने के दौरान किए गए या करने की कोशिश किए गए किसी काम के नतीजे में चोट पहुंचाता है, तो उसे तीन साल तक की किसी भी तरह की जेल की सज़ा, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

333. लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना।- जो कोई भी जान-बूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है जो लोक सेवक के तौर पर अपना काम कर रहा हो, या जिसका मकसद उस व्यक्ति या किसी अन्य लोक सेवक को अपना काम करने से रोकना या डराना हो, या उस व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के तौर पर अपने काम को कानूनी रूप से करने या करने की कोशिश के कारण ऐसा करता है, तो उसे दस साल तक की किसी भी तरह की जेल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।”

16. इन धाराओं के तहत आरोपी का अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित बातें साबित करनी थीं:-

- (I) आरोपी ने स्वेच्छा से चोट पहुंचाई या गंभीर चोट पहुंचाई;
- (II) जिस व्यक्ति को चोट या गंभीर चोट पहुंचाई गई, वह एक लोक सेवक था;
- (III) वह लोक सेवक उस समय अपनी ड्यूटी निभा रहा था।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17. इस पूरे मामले में यह बात मानी गई है कि शिकायत करने वाला और आरोपी, दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21, उप-धारा 12 (b) के अनुसार, ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही पक्ष राज्य अधिनियम के तहत बनी कॉर्पोरेशन, यूपीएसआरटीसी से अपना वेतन पाते थे। अब, चिंता की बात यह है कि आरोपी ने शिकायत करने वालों को उस समय जान-बूझकर चोट पहुंचाई और गंभीर रूप से घायल किया, जब वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे।

18. विचारण न्यायालय द्वारा सबूतों के मूल्यांकन पर विचार करने के लिए, तीन गवाहों - अतर सिंह, नाथू राम और बुद्धि मल - के बयानों को फिर से दोहराना ज़रूरी है, जिन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह 1 से 3 के तौर पर दर्ज किया गया था।

19. P.W.-1 अतर सिंह ने अपनी मुख्य गवाही में कहा है कि 06.08.1981 को वे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे और उनकी ड्यूटी सहारनपुर से हरिद्वार रूट पर यूपी. रोडवेज की बसों की जाँच करना थी। आरोपी बस नंबर यूएसटी5238 का कंडक्टर था। नाथू राम और बुद्धि मल भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे और उन्होंने आरोपी की बस का निरीक्षण किया, जिसे उन्होंने जाँच के लिए किशनपुर में रोका था। वे बस में चढ़े और कंडक्टर से वे-बिल माँगा, जिसने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। भगवानपुर से छह यात्री बस में चढ़े। ये एंट्रीज़ वे-बिल में नहीं थीं। पूछने पर कंडक्टर ने वे-बिल में एंट्री करना शुरू किया, लेकिन तब तक बस रुड़की के राम नगर पहुँच गई थी। आरोपी ने गालियाँ देना शुरू कर दिया और उन्हें सरकारी काम करने से रोकने की कोशिश की। नाथू राम ने वे-बिल में नोट लिखा है। अपीलकर्ता ने एंडोर्समेंट पढ़कर सुनाया और नाथू राम से पूछा कि क्या वह अपनी सर्विस लेना चाहता है, और फिर नाथू राम के चेहरे पर मुक्के मारे, जिससे उसके दो दांत टूट गए; नाथू राम बस में गिर गया और उसके घुटने में चोट आई। वह नाथू राम को बचाने के लिए दौड़ा, जिस पर आरोपी ने उसकी डायरी छीन ली और उसे फाड़ दिया। वह और नाथू राम बस से उतर गए थे, लेकिन बुद्धि मल को खींचकर वापस बस में ले जाया गया। वह और नाथू राम स्टेशन इंचार्ज के पास गए और उन्हें घटना के बारे में बताया; आधे घंटे बाद बुद्धि मल भी वापस आ गया। उन्होंने लिखित जानकारी तैयार की और F.I.R. दर्ज कराने के लिए उसे सीनियर डिपो इंचार्ज, रुड़की से आगे बढ़वाया। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया और आरएम व डीजीएम ने उसकी विभागीय अपील भी खारिज कर दी। जिरह के दौरान, उन्होंने निम्नलिखित जवाब दिए:-

(क) निरीक्षण नोट में यह उल्लेख नहीं है कि छह यात्रियों का नाम वे-बिल में दर्ज नहीं था। इसमें यह भी उल्लेख नहीं है कि आरोपी वर्दी में नहीं था।

(ख) निरीक्षण नोट में उल्लेख है कि “42 यात्रियों की जाँच की गई। कंडक्टर ने दुर्व्यवहार किया और जाँच में बाधा डाली।”

(ग) यह निरीक्षण नोट बाद में बुद्धि मल द्वारा मिटा दिया गया था।

(घ) निरीक्षण नोट में यह भी नहीं बताया गया है कि छह यात्रियों का प्रवेश कंडक्टर द्वारा उसकी उपस्थिति में किया गया था।

(ङ) उसने इस सुझाव का खंडन किया है कि 42 यात्रियों का प्रवेश आरोपी द्वारा किया गया था और आरोपी द्वारा उसकी उपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं किया गया था।

(च) फटी हुई डायरी रिकॉर्ड में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(छ) उनकी ड्यूटी रूट पर थी, जबकि अन्य दो ट्रैफिक इंस्पेक्टर अचानक दौरे पर थे और संयोगवश इस गवाह से उनकी मुलाकात हुई।

(ज) किशनपुर और भगवानपुर की दूरी 5 किमी है। उन्होंने भगवानपुर में पेट्रोल पंप के बाद बस पकड़ी।

(झ) आरोपी रुड़की बस स्टैंड नहीं पहुंचे, बल्कि सीधे रुड़की कैंट होते हुए हरिद्वार चले गए।

(ञ) उन्होंने कहा कि बसों के लिए 'सेल्फ-बुकिंग सिस्टम' लागू था, लेकिन इसके बावजूद बसें बस स्टैंड में आती थीं और उनकी एंट्री बस स्टैंड पर ही की जाती थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि 'सेल्फ-बुकिंग सिस्टम' वाली बसों की एंट्री बस स्टैंड पर नहीं की जाती थी।

(ट) वे-बिल के अनुसार, उनकी मौजूदगी में 18 यात्री रुड़की बस स्टैंड पर उतरे और कुछ यात्री राम नगर कैंप बस स्टेशन पर उतरे। उन्होंने यह भी बताया कि वे-बिल के अनुसार, 27 यात्री रुड़की बस स्टैंड से बस में सवार हुए। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि क्रॉस-केस की वजह से उन्होंने कोई झूठी और बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराई है।

(ठ) वे और अन्य ट्रैफिक इंस्पेक्टर बस के पिछले दरवाजे से उतरे।

20. P.W.-2 के तौर पर अपने बयान में नाथू राम ने कहा है कि 06.08.1981 को वे यू.पी. रोडवेज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। अतर सिंह और बुद्धि मल भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। तीनों ने किशनपुर गाँव में चेकिंग के लिए शाम 4:00 बजे बस पकड़ी थी; भगवानपुर, रुड़की की तरफ 7 किमी की दूरी पर स्थित है। बस में चढ़ने के बाद, तीनों ने वे-बिल माँगा। भगवानपुर में छह यात्री बस में चढ़े। आरोपी यूनिफॉर्म में नहीं था। जब उससे वे-बिल माँगा गया, तो वह गाली-गलौज करने लगा। उसने वे-बिल में एंट्री की थी। उसने लिखित जानकारी पर अपने हस्ताक्षर होने की बात मानी। जब वह बस से उतर रहा था, तो उसने वे-बिल पर लिखी टिप्पणी देखी और उसे हटाने के लिए कहा। जब उन्होंने टिप्पणी न हटाने की बात कही, तो आरोपी ने उनके चेहरे पर मुक्के मारे, जिससे उनके दो दांत टूट गए और वे गिर पड़े। इसके बाद उनके घुटनों पर भी चोट आई। जब अतर सिंह ने बीच-बचाव करके नाथू राम को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उनकी डायरी छीनकर फाड़ दी और बस के अंदर फेंक दी। वह और अतर सिंह बस से उतर, जबकि बुद्धि मल को अंदर खींच लिया गया; वे रोडवेज बस स्टेशन पहुंचे और बुद्धि मल का इंतज़ार करने लगे। आधे घंटे बाद, बुद्धि मल बस स्टेशन आया। बुद्धि मल ने उसे बताया कि जान के डर से उसने वे-बिल पर लिखी टिप्पणी मिटा दी थी और माफ़ीनामा भी दिया था। जिरह के दौरान, उसने नीचे लिखी बातें बताईं:-

(क) वह दूसरे ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के साथ किशनपुर में बस में चढ़े और 10-12 मिनट में बस राम नगर कैंप पहुँच गई। जाँच के बाद, उन्होंने वे-बिल पर टिप्पणी लिखी। वह बस के अगले दरवाजे से उतरे, जहाँ आरोपी ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे हाथापाई करने लगा, जिससे वे बस के फर्श पर गिर पड़े। उनके घुटने में भी चोट आई।

(ख) उन्होंने आगे बताया कि बुद्धि मल और अतर सिंह बस के पिछले दरवाजे से उतरे थे और वह अगले दरवाजे से उतरे थे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ग) बुद्धि मल के साथ जो भी घटना हुई, वह उनकी मौजूदगी में नहीं हुई। उन्होंने वे-बिल में छह यात्रियों के चढ़ने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।

(घ) अतर सिंह की डायरी, जिसे आरोपी ने छीन लिया था, उसे फाड़कर फेंक दिया गया।

(ड) उन्होंने इस बात से इनकार किया कि किसी बच्चे को टिकट जारी करने को लेकर आरोपी के साथ कोई बहस हुई थी।

(च) उन्होंने इस बात से इनकार किया कि क्रॉस-केस से बचने के लिए उन्होंने कोई झूठा केस दर्ज कराया है।

21. बुद्धि मल (P.W.-3) ने बताया है कि 06.08.1981 को वे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पद पर थे और यू.पी. रोडवेज बस नंबर यूएसटी5238 की चेकिंग कर रहे थे। उनके साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर नाथू राम और अतर सिंह भी थे। तीनों ट्रैफिक इंस्पेक्टरों ने बस की चेकिंग के लिए उसे किशनपुर में रूका और बस में सवार हुए। इस बस के कंडक्टर आरोपी राजेंद्र कुमार थे। उनसे जांच के लिए वे-बिल मांगा गया। उन्होंने इसे सॉपने में टालमटोल की और उनकी मौजूदगी में ही वे-बिल में उन छह यात्रियों की एंट्री की, जो भगवानपुर से बस में चढ़े थे। भगवानपुर, किशनपुर से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार, यात्रियों की एंट्री भगवानपुर में ही की जानी चाहिए थी। आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और यात्रियों को भी उनके खिलाफ भड़काया। आरोपी यूनिफॉर्म में भी नहीं था। बस रुड़की के राम नगर बस स्टॉप पर पहुँची। रास्ते में, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नाथू राम ने वे-बिल पर अपनी टिप्पणी लिखी। आरोपी ने नाथू राम से वह एंट्री हटाने को कहा और पूछा कि क्या वह अपनी नौकरी बनाए रखना चाहते हैं। जब नाथू राम ने एंट्री हटाने से मना किया, तो आरोपी राजेंद्र ने उनके चेहरे पर मुक्के मारे, जिससे उनके दो दांत टूट गए और वे गिर पड़े। तीनों ट्रैफिक इंस्पेक्टर बस से नीचे उतर गए थे, लेकिन आरोपी और उसके दो दोस्तों ने उन्हें खींचकर वापस बस के अंदर कर लिया और उनकी पिटाई की। इसके बाद नाथू राम और अतर सिंह रिवर से चले गए और बस आगे बढ़ गई। उन्होंने बस को बस स्टैंड ले जाने के लिए कहा था, लेकिन बस को बस स्टैंड नहीं ले जाया गया और कुछ दूरी पर ही रोक दिया गया, जहां रुड़की जाने वाले यात्री उतर और दूसरे यात्री बस में चढ़े। इसके बाद बस बहेड़ी गेट पहुँची। आरोपी ने उसकी शर्ट, बनियान और पैंट फाड़ दी, उस पर एंट्री डिलीट करने का दबाव डाला और ज़बरदस्ती माफीनामा लिखवाया; इसके बाद वह बस से उतर गया। उसने दूसरी बस पकड़ी, रोडवेज बस स्टैंड लौटा और स्टेशन इंचार्ज को जानकारी दी। बस स्टैंड पर उसे अतर सिंह और नाथू राम भी मिले। यह रिपोर्ट अतर सिंह ने लिखी है और इस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसे स्टेशन इंचार्ज ने आगे बढ़ाया है और यह पुलिस स्टेशन में दी गई है। आखिर में, उन्होंने बताया कि चेकिंग के लिए वे शाम 4:00 बजे बस में चढ़े थे। उनसे जिरह के दौरान, उन्होंने ये जवाब दिए:-

(क) उनसे उन बातों पर सवाल-जवाब किए गए जो उन्होंने जांच अधिकारी को बताई थीं, लेकिन जिनका ज़िक्र सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उनके बयान में नहीं था, बल्कि उनके मुख्य गवाही (एग्जामिनेशन-इन-चीफ़) में शामिल था। जैसे कि आरोपी ने उन छह यात्रियों की एंट्री की थी जो उसकी मौजूदगी में भगवानपुर में बस में चढ़े थे; आरोपी ने नाथू राम से वह एंट्री हटाने और उसकी सेवा लेने के लिए कहा था; आरोपी ने अपने दो दोस्तों की मदद से उसे बस के अंदर खींचा था; और बस को बस स्टैंड ले जाने के लिए कहा था। ये सभी बातें सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज नहीं की गई थीं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ख) अचानक चेकिंग करने वाली फ्लाईंग स्क्वाड सहारनपुर में नहीं है। उन्हें और नाथू राम को अचानक चेकिंग करने का अधिकार दिया गया था। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि अचानक चेकिंग का कोई अधिकार नहीं है।

(ग) किशनपुर से राम नगर कैंप की दूरी 4 से 5 किमी है और राम नगर कैंप से रुड़की रोडवेज बस स्टैंड की दूरी 2 किमी है।

(घ) कंडक्टर की यह झूटी है कि वह बस में छूटे हुए सामान को डिपो में जमा करे और इसके लिए रसीद जारी की जाती है। उन्हें पर्चा 1 और 2 दिखाए गए। उन्होंने पर्चा नंबर 1 में स्टेशन इंचार्ज श्री चौधरी के हस्ताक्षर को पहचाना, लेकिन पर्चा नंबर 2 में हस्ताक्षर को नहीं पहचान सके।

(ङ) हरिद्वार में असिस्टेंट रीजनल मैनेजर का ऑफिस है।

(च) उसने बस के यात्रियों की गिनती की है। गिनती के बाद उन्होंने एंट्री की है और आरोपी या यात्रियों से कोई बात नहीं की है।

(छ) उन्होंने आरोपी से तभी बात की जब वे-बिल में छह लोगों की एंट्री हो गई थी, और उनके और आरोपी के बीच बहस चेकिंग के बाद हुई थी।

(ज) बस में कंडक्टर बुकिंग कर सकता है।

(झ) रास्ते में, आरोपी और उसके दोस्तों ने उसे पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। साथ ही यह भी बताया कि बस स्टैंड पर दुकानें और टैक्सी स्टैंड हैं।

(ञ) आगे यह भी बताया कि टोल बैरियर पर पाँच से छह लोग काम कर रहे थे और वह टोल बैरियर पर बस से उतरा था।

(ट) उसने माना कि माफीनामा उसने खुद अपनी लिखावट में लिखा था। कुछ यात्रियों ने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आरोपी के पक्ष में हैं।

(ठ) उसने इस बात से इनकार किया कि वह क्रॉस-केस से बचने के लिए गलत बात कह रहा है। उसने इस बात का भी खंडन किया कि उसने माफीनामा इसलिए लिखा क्योंकि यात्री उसे ARM, हरिद्वार के सामने पेश करने पर अड़े हुए थे और इसलिए उसने माफीनामा तैयार किया, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया।

22. शिकायत करने वाले UPSRTC के ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं। आरोपी भी एक सरकारी कर्मचारी है, जो UPSRTC बस का कंडक्टर है। आरोपी ने पलटकर आरोप लगाया है कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी झूटी नहीं निभा रहे थे और यात्रियों को परेशान कर रहे थे, जिससे यात्री भड़क गए। यात्रियों के गुस्से की वजह से ही बुद्धि मल को माफीनामा लिखना पड़ा, ताकि उन्हें हरिद्वार के ARM के सामने पेश न किया जाए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात को साबित करे, सिवाय आरोपी द्वारा दर्ज कराए गए क्रॉस-केस के ज़िक्र के। तीनों ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी इस मामले में दिलचस्पी रखने वाले गवाह हैं, इसलिए उनकी गवाही की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, खासकर यह देखते हुए कि वे 06.08.1981 को चेकिंग के मकसद से रोडवेज बस में चढ़े थे। रोडवेज बस (जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जिसमें आम लोग यात्रा करते हैं) की चेकिंग करते समय ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के लिए ज़रूरी शर्तों और क्या उन शर्तों का पालन किया गया, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



23. शिकायतकर्ता और आरोपी द्वारा अपने-अपने कर्तव्यों के पालन में की गई कार्रवाई पर विचार करने के लिए, 'रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट, 1950' और उससे संबंधित नियमों पर विचार करना ज़रूरी होगा, जो उस समय लागू थे। 'यू.पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रूल्स, 1972' टिकट जारी करने और कंडक्टर के कर्तव्यों से संबंधित हैं। संबंधित नियमों को नीचे फिर से बताया गया है:-

“20. यात्रा के लिए टिकट और सामान की रसीद जारी करना - कंडक्टर या निगम का कोई अन्य कर्मचारी, जिसे इसके लिए अधिकृत किया गया हो, यात्री द्वारा उचित किराया चुकाने पर यात्रा के लिए टिकट जारी करेगा और यदि यात्री द्वारा ले जाए जा रहे सामान पर शुल्क लगता है, तो उचित भाड़ा चुकाने पर उस सामान की रसीद जारी करेगा।

21. टिकट या रसीद लेने की ज़िम्मेदारी - कोई भी व्यक्ति (ड्राइवर या कंडक्टर को छोड़कर), कॉर्पोरेशन द्वारा या उसकी ओर से चलाई जा रही गाड़ी में तब तक यात्रा नहीं करेगा या सामान नहीं ले जाएगा, जब तक कि उसने यात्रा के लिए टिकट या सामान ले जाने के लिए रसीद (अगर लागू हो) न ले ली हो।

22. नियम 21 का उल्लंघन करने पर सज़ा - जो कोई भी नियम 21 का उल्लंघन करते हुए कोई काम करता है, तो उस पर उस समय लागू किसी भी कानून के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई पर असर डाले बिना, एक्ट की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार, उसमें बताई गई सज़ा लागू होगी।

23. यात्री द्वारा टिकट या रसीद दिखाना - हर यात्री को यात्रा के दौरान, या यात्रा से ठीक पहले या बाद में, जब भी मजिस्ट्रेट या किसी अधिकृत कर्मचारी द्वारा कहा जाए, तो अपना टिकट या अपने साथ ले जाए जा रहे सामान की रसीद दिखानी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर उसे अधिनियम की धारा 46 में बताए गए जुर्माने का भुगतान करना होगा।

24. नियम 23 का उल्लंघन करने पर यात्री की ज़िम्मेदारी - अगर यात्री नियम 23 के तहत टिकट या रसीद नहीं दिखा पाता है, तो मजिस्ट्रेट या अधिकृत कर्मचारी (जैसा भी मामला हो) - जब तक कि उन्हें यह यकीन न हो जाए कि यात्री ने जान-बूझकर बिना टिकट यात्रा नहीं की है या बिना रसीद के सामान नहीं ले गया है - उस यात्री के खिलाफ उस समय लागू किसी भी कानून के तहत की जा सकने वाली कार्रवाई पर असर डाले बिना, अधिनियम की धारा 46 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की कार्रवाई कर सकते हैं।

25. कंडक्टर का कर्तव्य और नियम तोड़ने पर ज़िम्मेदारी।- (1) वाहन के कंडक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी यात्री नियम 21 का उल्लंघन करके उस वाहन में यात्रा न करे या सामान न ले जाए; और जो कंडक्टर इस नियम का उल्लंघन करेगा, वह अधिनियम की धारा 46 के तहत दंड का भागी होगा।”

24. यू.पी. स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन सर्विस मैनुअल में, 'ट्रैफिक इंस्पेक्टर' ग्रेड-II कैडर के क्लर्क स्टाफ में आते हैं, जबकि 'कंडक्टर' सेमी-स्किल्ड (अर्ध-कुशल) श्रेणी में आते हैं। यह श्रेणी ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए तय की गई न्यूनतम मज़दूरी दरों के तहत बनाई गई थी, जिसकी सूचना जारी की गई थी (नोटिफिकेशन नंबर 3539/XXXVI-3-4-(M.W.)-90, तारीख 28 नवंबर, 1991, जो भारत के राजपत्र (अतिरिक्त) तारीख

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



28.11.1991 में प्रकाशित हुआ था)। हालाँकि यह बाद की तारीख का है, फिर भी इसे ध्यान में रखा गया है। संबंधित पैराग्राफ 11 को नीचे फिर से बताया गया है:-

“11. यदि कोई नियोक्ता 'कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970' के प्रावधानों के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर (ठेके पर रखे गए श्रमिकों) के माध्यम से कोई काम करवाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी उसी दर से वेतन और विशेष भत्ता पाने के हकदार होंगे, जो नियोक्ता द्वारा सीधे रखे गए कर्मचारियों के लिए पैराग्राफ (1) और (2) के तहत तय किए गए हैं।”

ध्यान दें - अगर कोई नियोक्ता 'कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970' के तहत सर्टिफिकेट लिए बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पर रखता है, तो उस लेबर को नियोक्ता द्वारा सीधे तौर पर काम पर रखा गया लेबर माना जाएगा। यह बात उक्त एक्ट की धारा 9 और यू.पी. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 की धारा 2(i)(iv) के आधार पर तय की जाएगी।

संलग्नक

1. क्लर्क स्टाफ। (क) बहुत कुशल और क्लर्क, ग्रेड 1- कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई और संस्थान में पाँच साल काम करने का अनुभव होना ज़रूरी है।

ट्रेफिक सुपरिटेण्डेंट, स्टेशन सुपरिटेण्डेंट, मैनेजर, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसियर, फोरमैन, हेड क्लर्क, स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, ड्राफ्ट्समैन, गोदाम कीपर, हेड कैशियर, स्टोर सुपरिटेण्डेंट और इसी तरह का काम करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए।

(ख) क्लर्क, ग्रेड-II - कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई और जिसने उस संस्थान में पाँच साल पूरे न किए हों।

अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्लर्क-कम-टाइपिस्ट, मेला-मैन, अकाउंट्स क्लर्क, आउट एजेंसी क्लर्क, कैशियर, असिस्टेंट गोडाउन कीपर, सुपरिटेण्डेंट (रसीद और डिस्पैच), स्टोरकीपर, प्रोग्रेस चेकर, स्टेशन इंचार्ज/मास्टर, ट्रेफिक इंस्पेक्टर, हेड टाइम कीपर और इसी तरह का काम करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए।

2. (क) कुशल सर्विसमैन, वर्कशॉप सुपरवाइजर, मैकेनिक, ड्राइवर, टर्नर, फ्यूज इंजेक्शन पंचिनेन, पेंटर, फिटर, लेथमैन, एयर-कंडीशनर मैकेनिक, मिस्त्री, गेट सार्जेंट, इलेक्ट्रीशियन, टिन स्मिथ, कंक्रिट, सुपरवाइजर, असिस्टेंट स्टोरकीपर, कारपेंटर, वल्केनाइजर, अपहोल्स्टर और इसी तरह का काम करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए।

(ख) सेमी-स्किल्ड - ग्राइंडर, बोरिंगमैन, असिस्टेंट पेंटर, रेडिएटर, कंडक्टर, दफ्तरी, जमादार, बंडल लिफ्टर, दफ़ादार और अन्य रिपेयरर, वेल्डर, लोहार, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट मैकेनिक, और वे कर्मचारी जो किसी भी नाम से जाने जाते हों, लेकिन समान प्रकृति का काम करते हों।

(ग) अकुशल - अर्दली, चपरासी, भिश्ती, वाटरमैन, चौकीदार, मज़दूर, सफ़ाईकर्मी, क्लीनर, हेयर ड्रेसर, मोची, चैंबर सर्वेंट, ट्रेज़री चपरासी, स्टोर मज़दूर, लोडर, गाड़ी धोने वाला, कुली, ऑफिस बॉय, पेट्रोल पंप अटेंडेंट और इसी तरह का काम करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए।”

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25. यह एक मानी हुई बात है जिस पर विचारण न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया कि घटना के तीन गवाहों—अतर सिंह, नाथू राम और बुद्धि मल—ने ऐसा कोई अधिकार-पत्र (ऊपर बताए गए नियम 23 के अनुसार) पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें रोडवेज UPSRTC बस नंबर यूएसटी5238 को रोकने और उसकी जांच करने का अधिकार था, जिसमें आरोपी कंडक्टर था। विचारण न्यायालय ने अपने फैसले में यह माना है कि सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारी हैं और इसलिए यह स्पष्ट है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। बस की जांच के बारे में, P.W.-1 अतर सिंह ने बताया कि वे सहारनपुर से हरिद्वार रूट के ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे। उनका कहना है कि यह महज एक संयोग था कि नाथू राम और बुद्धि मल भी अचानक जांच (सरप्राइज़ इंस्पेक्शन) पर थे और वे उसी जगह पर बस में चढ़े थे। ऐसा नहीं है कि तीनों ट्रैफिक इंस्पेक्टर अलग-अलग मकसद से चेकिंग के लिए एक ही बस में चढ़े थे और उनमें से किसी के पास भी अधिकार नहीं था; हालाँकि, जब वे अचानक चेकिंग या रोडवेज बस (जो यात्रियों को ले जाती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक साधन है) की चेकिंग कर रहे हों, तो उनका यह फर्ज बनता है कि वे अपनी पहचान ट्रैफिक इंस्पेक्टर के तौर पर बताएं और यह भी बताएं कि वे किस मकसद से बस में चढ़े हैं। इसका ज़िक्र न तो एफ.आई.आर. में है और न ही ऊपर बताए गए तीनों गवाहों के बयान में। हालाँकि, P.W.-3 बुद्धि मल ने सहारनपुर डिपो में 'फ्लाइंग स्क्वाड' होने से इनकार किया है।

26. अभियोजन पक्ष द्वारा 'एग्जिबिट क-2' के तौर पर साबित किए गए वे-बिल की कॉपी के बारे में पूछे जाने पर, P.W.-1 अतर सिंह ने बताया कि उन्होंने वे-बिल में दर्ज 42 यात्रियों की जाँच की थी। उन्होंने यह भी बताया कि वे-बिल से पता चलता है कि 18 यात्री रुड़की बस स्टैंड पर उतरे थे और कुछ यात्री राम नगर कैम्प बस स्टेशन पर उतरे थे। उन्होंने आगे बताया कि वे-बिल से पता चलता है कि रुड़की बस स्टैंड से 27 यात्री बस में सवार हुए थे। इससे यह साफ़ होता है कि बस शुरू में राम नगर कैम्प और उसके बाद रुड़की बस स्टैंड पर रुकी थी, जहाँ यात्री बस से उतरे और उसमें सवार हुए। किशनपुर या भगवानपुर में बस में सवार होने के बारे में तीन गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। P.W.-1 के बयान के अनुसार, भगवानपुर और किशनपुर के बीच की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। घटना के तीन गवाहों और ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के बयानों से यह पता नहीं चलता कि कोई यात्री बिना टिकट के था, लेकिन उनकी मुख्य आपत्ति यह थी कि भगवानपुर में छह लोग बस में चढ़े थे, जिनकी एंट्री वे-बिल में नहीं की गई थी, जबकि U.P. राज्य सड़क परिवहन निगम नियम, 1972 के नियम 20 के तहत कंडक्टर को यात्रियों को टिकट जारी करने का अधिकार है। P.W.-3 बुद्धि मल, जिन्होंने माफीनामा लिखा था, ने P.W.-3 के तौर पर अपने बयान में इसे स्वीकार किया है। बचाव पक्ष ने इस माफीनामे को 'एग्जिबिट ख-4' के तौर पर पेश किया है। उस माफीनामे का ज़िक्र करना ज़रूरी है, जिसे एस.टी. नंबर 162/1984 (स्टेट बनाम नाथू राम और अन्य) में पेश किया गया था; यह मामला आईपीसी की धारा 332 और 341 के तहत थाना भगवानपुर, ज़िला सहारनपुर से जुड़ा था।

"सेवा में,

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक

सहारनपुर।

निवेदन है कि आज दिनांक 6/8/81 को वाहन को चेक किया वाहन ठीक प्रकार थी। जो वेबिल पर रिमार्क दिया गया था व गलत है वह काट दिया गया है। अब इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जायेगी नाथू राम व अतर सिंह मार कर भाग गये हैं। मैंने बीच बचाव किया तो मेरे कपड़े फट गये हैं। मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। यह मैं सब कुछ रजामन्दी से लिख रहा हूँ।

ह0

(भवदीय) ”

27. माफीनामा, जो 'एग्जिबिट-खा-4' के तौर पर साबित हुआ है, उससे पता चलता है कि इंस्पेक्शन 06.08.1981 को किया गया था। बस सही तरीके से चलाई जा रही थी। वे-बिल पर की गई टिप्पणी गलत थी और उसे हटा दिया गया है, इसलिए इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। इससे यह भी पता चलता है कि नाथू राम और अतर सिंह मारपीट करने के बाद भाग गए थे। जब वह दोनों के बीच बचाव कर रहा था और माफी मांग रहा था, तो उसके कपड़े फट गए थे। P.W.-3 बुद्धि मल का कहना है कि उन्होंने यह माफीनामा अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि दबाव में लिखा था। अभियोजन पक्ष का यह कहना नहीं है कि बुद्धि मल को माफीनामा लिखवाया गया था। इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वह उनकी अपनी भाषा में है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे-बिल पर की गई टिप्पणी गलत थी। ऊपर बताए गए 1972 के नियमों, खासकर नियम 21, 22, 23 और 24 से साफ पता चलता है कि बस में चढ़ने के लिए टिकट लेना ज़रूरी है। यह ज़िम्मेदारी यात्री की है। नियम 22 में नियम 21 का उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान है और इसके लिए मजिस्ट्रेट या अधिकृत कर्मचारी ज़िम्मेदार अधिकारी होते हैं, जिनके सामने ज़रूरत पड़ने पर यात्री को टिकट दिखाना होता है। इसके अलावा, नियम 21 एक 'नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज़' (बाकी नियमों पर प्राथमिकता रखने वाला नियम) है, जो सिर्फ़ ड्राइवर और कंडक्टर को बिना टिकट बस में यात्रा करने की इजाज़त देता है और इसमें ट्रैफ़िक इंस्पेक्टरों को भी कोई छूट नहीं मिलती है। इसलिए, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि किन अधिकारों के तहत सूचना देने वाले तीन ट्रैफ़िक इंस्पेक्टरों को चेकिंग के लिए बस में घुसने की इजाज़त थी; जबकि आईपीसी की धारा 332 और 333 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना ज़रूरी है। डी. चट्टायाह और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी के कृत्य और सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के बीच एक संबंध होना चाहिए।

28. ट्रायल जज दोषसिद्धि के फैसले में इस ज़रूरी बात को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इस बिंदु पर मौजूद सभी सबूत केवल अनुमान पर आधारित हैं। यह मानते हुए कि मुखबिर अपनी इयूटी निभा रहे थे, जबकि 1972 के नियमों के नियम 23 और 24 में 'अधिकृत कर्मचारी' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए, मेरी राय में अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा है कि सरकारी कर्मचारी—यानी तीन ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर—अपनी आधिकारिक इयूटी निभा रहे थे।

29. इस कोर्ट को आगे इस बात पर भी विचार करना है कि क्या आरोपी-अपीलकर्ता ने बस में नाथू राम के चेहरे पर वार किया था, जिससे उसके दो दांत टूट गए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अतर सिंह और बुद्धि मल को चोटें आई थीं और नाथू राम गंभीर रूप से घायल हो गया था।

30. यह एक मानी हुई बात है कि तीन ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर (जो शिकायतकर्ता थे) उस रोडवेज बस में चढ़े थे जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता कंडक्टर था। मामले से जुड़े तीन गवाहों ने गवाही दी कि

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आरोपी-अपीलकर्ता ने बस में उनके साथ मारपीट की थी। इन तीनों गवाहों ने यह भी बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ़ शुरु की गई विभागीय जाँच में उसकी नौकरी ख़त्म कर दी गई थी।

31. जान-बूझकर चोट पहुँचाने या गंभीर चोट पहुँचाने के मामले में, P.W.-1 अतर सिंह ने अपनी मुख्य गवाही में कहा है कि वे-बिल पर लिखी टिप्पणी पढ़ने के बाद, आरोपी ने नाथू राम को चुनौती दी; जबकि लिखित जानकारी (एक्ज़िबिट क-1) में इस गवाह ने बताया है कि नाथू राम ने कंडक्टर को विभाग और उसके अधिकारियों की बात मानने की सलाह दी थी, जिस पर उसने उसके चेहरे पर मुक्के से दो बार मारा। मारपीट की वजह से नाथू राम के दो दांत टूट गए, वह गिर पड़ा और उसके घुटने पर चोट आई। इस गवाह के अनुसार, यह घटना रुड़की के राम नगर कैंप में हुई थी। उसने आगे बताया कि उसने और बुद्धि मल ने नाथू राम को बचाने की कोशिश की थी। इसी दौरान आरोपी ने डायरी छीन ली, उसे फाड़ दिया और फेंक दिया। रिकॉर्ड में फटी हुई डायरी का कोई सबूत नहीं है, इसका ज़िक्र सिर्फ़ बयान में है। अतर सिंह और नाथू राम बस से नीचे उतर गए थे, जबकि बुद्धि मल को बस के अंदर खींच लिया गया था।

32. घटना के बारे में, P.W.-2 नाथू राम ने अपनी मुख्य गवाही में कहा है कि टिप्पणी दर्ज करने के बाद, जब वे रुड़की के राम नगर कैंप में बस से उतर रहे थे, तो आरोपी ने वह टिप्पणी देख ली और उनसे उसे हटाने के लिए कहा। उनके मना करने पर, आरोपी ने उनके चेहरे पर मुक्के से दो बार मारा, जिससे उनके दो दांत टूट गए। उन्होंने आगे बताया कि जब अतर सिंह बचाने आए, तो आरोपी ने उनकी डायरी छीनकर फाड़ दी और बस के अंदर फेंक दी; साथ ही, आरोपी ने बुद्धि मल की शर्ट, बनियान और पैंट भी फाड़ दी। बुद्धि मल के अनुसार, आरोपी ने उनके कपड़े तब फाड़े जब उन्हें बस के अंदर खींच लिया गया और आरोपी तथा उसके दो दोस्तों ने उन पर माफ़ीनामा लिखने का दबाव डाला। अपनी मुख्य गवाही के दौरान, P.W.-2 नाथू राम ने बताया कि वह बस के अगले हिस्से से उतर रहे थे, जहाँ आरोपी खड़ा था, और उन्होंने यह भी बताया कि बुद्धि मल और अतर सिंह बस के पिछले हिस्से से उतरे थे। उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने बुद्धि मल के साथ हुई घटना को नहीं देखा; उन्हें बस में सिर्फ़ खींचा गया था। आगे की जिरह के दौरान, उन्होंने बताया कि अतर सिंह की डायरी, जिसे आरोपी ने फाड़ दिया था, उसे बस से बाहर फेंक दिया गया था।

33. बुद्धि मल (P.W.-3) ने अपनी मुख्य गवाही में कहा है कि नाथू राम ने वे-बिल पर एक टिप्पणी लिखी थी, जिसे हटाने के लिए आरोपी ने कहा और पूछा कि क्या वह उसकी सेवा लेना चाहता है। नाथू राम ने वह एंट्री हटाने से मना कर दिया, जिस पर आरोपी ने नाथू राम के चेहरे पर दो बार मारा, जिससे उसके दो दांत टूट गए।

34. नाथू राम के चेहरे पर मुक्के से दो बार मारने के बारे में गवाहों ने जो कारण बताया है, उसका ज़िक्र लिखित जानकारी में नहीं है। इससे पता चलता है कि तीनों गवाहों ने अपनी मुख्य गवाही में अपना बयान बदल दिया है। यह भी चिंता की बात है कि अतर सिंह और नाथू राम रुड़की के राम नगर कैंप में बस से उतरे और रुड़की बस स्टैंड पहुँचे, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और न ही कोई मेडिकल इलाज करवाया; इसके बजाय, वे रुड़की बस स्टैंड पर ही बुद्धि मल का इंतज़ार करते रहे। जबकि घटना वाली जगह से पुलिस स्टेशन सिर्फ़ डेढ़ किलोमीटर दूर है। इसलिए, F.I.R. दर्ज करने में हुई देरी को एक मनगढ़ंत कहानी तैयार करने की कोशिश माना जा रहा है, जो तीनों सूचना देने वालों के एक साथ आने पर रची गई थी। स्वाभाविक नतीजा यही होगा कि बस से उतरने के तुरंत बाद बुद्धि मल के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अपहरण का मामला दर्ज कराया जाए। इसके अलावा, चेहरे पर मुक्के की दो चोटों से दो दांत टूटने का बाहरी असर दिखना चाहिए, जो नाथू राम की मेडिको-लीगल रिपोर्ट में नहीं दिखता है। चोट ऊपरी होंठ के अंदरूनी हिस्से पर रगड़ की है। डॉ. विपिन कुमार प्रेमी (P.W.4) की राय है कि ये चोटें किसी कुंद चीज़ और रगड़ से लगी हैं। इस राय से पता चलता है कि हो सकता है नाथू राम ज़मीन पर गिरे हों और उन्हें चोट लगी हो। और विस्तार से देखें तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कोई व्यक्ति इतनी सटीकता से मुक्के के दो वार कैसे कर सकता है कि ऊपरी होंठ के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ एक ही चोट लगे। P.W.-4, डॉ. विपिन कुमार प्रेमी ने जिरह के दौरान कहा है कि इस तरह के मुक्के के वार में सूजन आना एक आम बात है और उन्होंने यह भी कहा कि चोट नंबर 2, यानी दो दांतों का टूटना, दौड़ते समय गिरने की वजह से हो सकता है। बुद्धि मल के कंधे पर लगी चोट (जो कि एक चोट या 'कंट्यूज़न' है) के बारे में, P.W. 4 डॉ. विपिन कुमार प्रेमी ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने शर्ट पहनी हो, तो इस तरह की चोट नहीं लग सकती। इसलिए, आरोपी-अपीलकर्ता को नाथू राम और बुद्धि मल को लगी चोटों के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मेडिकल और चश्मदीद गवाहों के बयानों में विरोधाभास है।

35. जांच अधिकारी, P.W.-5 एस.आई. महावीर सिंह ने बस के किसी भी यात्री का बयान दर्ज नहीं किया है और न ही तीनों ट्रैफिक इंस्पेक्टरों से कोई ऐसा अधिकार पत्र लिया है, जो उन्हें अचानक निरीक्षण करने के लिए अधिकृत करता हो।

36. बचाव पक्ष के गवाह-3 के तौर पर बस के एक यात्री, B.D. त्यागी को पेश किया गया, जो बीएचईएल के कर्मचारी और हरिद्वार की राम नगर कॉलोनी के निवासी हैं। उन्होंने सहारनपुर से हरिद्वार जाने वाली बस में सफ़र किया था। उन्होंने बताया कि भगवानपुर के बाद पेट्रोल पंप पर तीन इंस्पेक्टर बस में चढ़े थे; उन्होंने वे-बिल की जाँच की, यात्रियों की गिनती की, साढ़े चार साल के बच्चे का टिकट माँगा और रिमार्क (टिप्पणी) दर्ज किया। जब कंडक्टर ने कहा कि टिप्पणी गलत है, तो तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टर बस से उतरकर उसे पीटने लगे। इससे यात्री भड़क गए। दो इंस्पेक्टर तो भाग गए, लेकिन यात्रियों ने तीसरे को पकड़ लिया ताकि उसे हरिद्वार में अधिकारियों के सामने पेश किया जा सके। तब जाकर तीसरे इंस्पेक्टर, बुद्धि मल ने वह टिप्पणी हटाई और माफीनामा लिखा। उस समेत यात्रियों ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। माफीनामे पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य यात्रियों में रुड़की के निवासी रवींद्र कुमार गायल, ज्वालापुर के निवासी बी.एम. शर्मा और बांसडीला गाँव के निवासी सिंहासन पांडे शामिल थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एस.टी. नंबर 162/1984 (स्टेट बनाम नाथू राम) में अदालत के सामने अपना बयान दिया था। उन्होंने आगे कहा कि वह बुद्धि मल और आरोपी राजेंद्र को नहीं जानते थे, लेकिन घटना से पहले नाथू राम और अतर सिंह को जानते थे। अतर सिंह धुरमलपुर में टिकट कलेक्टर थे और नाथू राम कंडक्टर थे।

37. विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते हुए, घटना से जुड़े अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की सच्चाई पर भी गौर किया है। विचारण न्यायालय घटना से जुड़े गवाहों से की गई जिरह पर ठीक से ध्यान देने में नाकाम रहा है; इस जिरह से पता चलता है कि निरीक्षण नोट में इस बात का ज़िक्र नहीं है कि आरोपी अपनी वर्दी में नहीं था। ट्रायल जज ने आरोपी द्वारा अतर सिंह की डायरी फाड़ने और बुद्धि मल की शर्ट, बनियान और पैंट फाड़ने के तर्कों को भी खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये चीज़ें अदालत के सामने पेश ही नहीं की गई थीं। ट्रायल जज ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि बुद्धि मल ने यात्रियों के गुस्से से बचने के लिए अपनी मर्जी से माफीनामा लिखा था—यात्रियों ने

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बुद्धि मल को एआरएम हरिद्वार के सामने पेश करने का मन बना लिया था—बल्कि जज ने माना कि माफीनामा आरोपी के दबाव और धमकी के कारण लिखा गया था। कुल मिलाकर, ट्रायल जज ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करते हुए यह माना कि सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारी थे और उनका काम निरीक्षण करना था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसे निरीक्षण के लिए कुछ नियम होते हैं। इस वजह से, उन्होंने सरकारी कर्मचारी को उसके काम में बाधा डालने के अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराने के लिए ज़रूरी शर्त को नज़रअंदाज़ कर दिया।

38. ट्रायल जज ने अपने फैसले में कहा है कि मामले के दो वर्शन थे और उन्होंने यह पता लगाया है कि कौन-सा वर्शन सही है। यह बात नत्थी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (पैराग्राफ 2) के मामले में तय किए गए उस कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है, जो क्रॉस-केस में सबूतों के मूल्यांकन के बारे में है; उस सिद्धांत को नीचे फिर से बताया गया है:-

“2. हमारा मानना है कि ऐसे मामलों में, जहाँ क्रॉस-केस (एक-दूसरे के खिलाफ मामले) हों, सही तरीका यह है कि एक ही जज दोनों क्रॉस-केस की सुनवाई एक के बाद एक करें। एक मामले में सबूत दर्ज होने के बाद, उन्हें दलीलें सुननी चाहिए, लेकिन फैसला सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद उन्हें क्रॉस केस की सुनवाई करनी चाहिए और सभी सबूत दर्ज करने के बाद दलीलें सुननी चाहिए, लेकिन उस मामले में फैसला सुरक्षित रखना चाहिए। उसी जज को बाद में दो अलग-अलग फैसलों के ज़रिए मामलों का निपटारा करना चाहिए। हर मामले का फैसला करते समय, वे सिर्फ उसी मामले में दर्ज सबूतों पर ही भरोसा कर सकते हैं। प्रतिवाद में दर्ज साक्ष्यों पर विचार नहीं किया जा सकता। न ही न्यायाधीश प्रतिवाद में कही गई बातों से प्रभावित हो सकते हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय उस विशेष मामले में दर्ज साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि प्रतिवाद में दिए गए साक्ष्यों या तर्कों से किसी भी प्रकार से प्रभावित होकर। लेकिन दोनों निर्णय एक ही विद्वान न्यायाधीश द्वारा एक के बाद एक सुनाए जाने चाहिए।

39. जितेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ जितू बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत को निचली अदालतों द्वारा दी गई सज़ा में दखल देने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए; लेकिन अगर रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी का दोष उचित संदेह से बरे साबित करने में विफल रहा है, और विचारण न्यायालय की राय से अलग कोई तर्कसंगत राय बनाई जा सकती है, तो ऐसा किया जा सकता है। अपील सुनने वाले अधिकारी को आरोपी को संदेह का लाभ देने से नहीं हिचकिचाना चाहिए।

40. इसलिए, अपीलकर्ता को किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए उसे चोट पहुँचाने या गंभीर चोट पहुँचाने के अपराध, या किसी अन्य अपराध का दोषी नहीं माना जाता है और उसे बरी किया जाना चाहिए, क्योंकि विचारण न्यायालय ने सबूतों का सही मूल्यांकन नहीं किया था। इस प्रकार, सत्र विचारण संख्या 142/1984 (स्टेट बनाम राजेंद्र कुमार) में 23.10.1986 को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने का फैसला — जो कि केस क्राइम नंबर 371/1981 (पुलिस स्टेशन रुड़की, ज़िला सहारनपुर) से संबंधित था और जिसमें IPC की धारा 332 और 333 के तहत अपराध शामिल थे — उसे रद्द किया जाता है।

41. अपील स्वीकार की जाती है। आरोपी-अपीलकर्ता राजेंद्र कुमार (पिता राज किशोर), निवासी मदनपुरी कॉलोनी, चिलकाना रोड, थाना मंडी, ज़िला सहारनपुर, को IPC की धारा 332 और 333 के तहत अपराध से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता ज़मानत पर है। उसके ज़मानत बॉन्ड रद्द किए जाते हैं।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



42. रिकॉर्ड को फैसले की कॉपी के साथ तुरंत वापस भेजा जाए।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना,)

11 मार्च, 2026

शिवांगी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"